न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 213/2022

अनवान : –

1. रोहिताष सिंह पुत्र महावीर प्रसाद जाति कलाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. महावीर पुत्र मेघाराम उर्फ मेघा जाति कलाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सुरेश पुत्र महावीर प्रसाद जाति कलाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
3. सरोज पुत्री महावीर प्रसाद जाति कलाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. सुमन पुत्री महावीर प्रसाद जाति कलाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. शारदा पुत्री महावीर प्रसाद जाति कलाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 11/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 4 पीपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 11/11 के कुल खसरे 75 का कुल क्षेत्रफल 15.2830 है० भूमि में से 1029/15283 है0 भूमि व खाता संख्या 49/44 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा व रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 503/432 के कुल खसरे 16 का कुल क्षेत्रफल 3.9720 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 3 ता 5 जो की वादी की बहिने है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 काबिज खातेदार काश्तकार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 3 ता 5 जो की वादी की बहिने है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 काबिज खातेदार काश्तकार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 ता 5 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने बहस पर ममन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी का कथन है कि उक्त समस्त वाद भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है लेकिन अधिवक्ता वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश किया गया है जिससे रोही मौजा 4 पीपीएम तहसील नोहर के खाता संख्या 11/11 के कुल खसरे 75 का कुल क्षेत्रफल 15.2830 है० भूमि में से 1029/15283 है0 भूमि व खाता संख्या 49/44 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा व रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 503/432 के कुल खसरे 16 का कुल क्षेत्रफल 3.9720 है0 भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि जो की प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है पैतृक भूमि होना साबित हो वादी द्वारा केवल कथन किया गया है एवं कथनो के आधार पर वादी न्यायालय से अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 213/2022

अनवान : –

1. रोहिताष सिंह पुत्र महावीर प्रसाद जाति कलाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. महावीर पुत्र मेघाराम उर्फ मेघा जाति कलाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सुरेश पुत्र महावीर प्रसाद जाति कलाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर ।
3. सरोज पुत्री महावीर प्रसाद जाति कलाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. सुमन पुत्री महावीर प्रसाद जाति कलाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. शारदा पुत्री महावीर प्रसाद जाति कलाल निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 213 सन 2022 निर्णय दिनांक 11/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर